BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Action Taken Report

on behalf of State of Uttarakhand

in compliance of orders dated 16.04.2024

In the matter of

Execution Application No. 27 of 2023 in M.A. No. 54 of 2023
(Original Application No. 561 of 2022)

Urvashi Shobhna Kachari ....Applicant

Versus

Union of India & Ors. ....Respondents

INDEX

Sr. No.	Description of Documents	Page No(s)
1.	Index	1 - 1
2.	Action Taken Report	2 - 4
3.	**ANNEXURE No. 1:** Copy of work order issued on 27.07.2024.	5 - 6
4.	**ANNEXURE No. 2:** Copy of Standard Operating Procedure (SoP) issued on 14.06.2024.	7 - 11
4.	**ANNEXURE No. 3:** Copy of minutes of meeting held on 11.07.2024.	12 - 14

Date: July 27, 2024
Place: Dehradun

Filed by:

Dr. Parag Madhukar Dhakate
Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control Board

Action Taken Report

In the matter of

Execution Application No. 27 of 2023 in M.A. No. 54 of 2023

(Original Application No. 561 of 2022)

Urvashi Shobhna Kachari ………….Applicant

Versus

Union of India & Ors. …………..Respondents

I. BACKGROUND

That the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of Execution Application No. 27 of 2023 in M.A. No. 54 of 2023, Original Application No. 561 of 2022 titled as "Urvashi Shobhna Kachari Versus Union of India & Ors., pleased to direct *inter alia* following directions on dated 16.04.2024:

"……..

11. State Authorities are directed to ensure that carrying capacity study of places under consideration in this OA is completed within one year and in the meanwhile, on the basis of the data/material already available they are directed to fix the adhoc carrying capacity within one month and file action taken report before the Tribunal at least one week before the next date of hearing by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

………"

II. ACTION TAKEN:

1. That in compliance of order passed by the Hon'ble Tribunal, the Uttarakhand Pollution Control Board has sought technical and financial proposals from the Government Institutions and Universities for carrying out "Scientific Study for Assessment of Carrying Capacity of Kedarnath, Hemkund Sahib, Gangotri & Yamunotri tracks of Uttarakhand" within the stipulated time period of 12 months.

2. That the four Institutions and Universities have submitted their proposals and expressed their willingness to carryout proposed scientific study for assessment of carrying capacity. Based on technical proposal and professional competencies, the Uttarakhand Pollution Control Board has awarded the proposed study titled "Scientific Study for Assessment of Carrying Capacity of Kedarnath, Hemkund Sahib, Gangotri & Yamunotri tracks of Uttarakhand" to the Wildlife Institute of India (WII), Dehradun on 27.07.2024. Said study is to be completed within a period of 12 months. Copy of work order issued on 27.07.2024 is being annexed herewith and marked as **Annexure No. 1**.

3. That the review meeting was held under the Chairmanship of Principal Secretary, Forest, Environment Conservation & Climate Change, Government of Uttarakhand on dated 11.07.2024 and with due discussion and deliberations, it was observed that the Animal Husbandry Department, Government of Uttarakhand vide letter No. 217923/XV-I/24/4(12)22/31871 dated 14.06.2024 has issued Standard operating Procedures (SoP) for operation of equines in the yatra route of Kedarnath, Hemkund Sahib and Yamunotri and also fixed the maximum number of equines to be operated in the particular yatra route. The SoP is to be submitted before the Hon'ble NGT. Copy of Standard operating

Procedures (SoP) issued on 14.06.2024 is being annexed herewith and marked as **Annexure No. 2**.

4. That it was also decided that the Action Taken Report in the matter will be submitted by the Uttarakhand Pollution Control Board before the Hon'ble National Green Tribunal. Copy of minutes of meeting held on 11.07.2024 is being annexed herewith and marked as **Annexure No. 3**.

III. CONCLUSION

It is respectfully submitted that the State has already issued the Standard Operating Procedures (SoP) for operation of equines in the Kedarnath, Hemkund Sahib and Yamunotri yatra tracks. As directed by the Hon'ble Tribunal, the State has engaged the Wildlife Institute of India (WII), Dehradun for carrying out carrying capacity assessment of Kedarnath, Hemkund Sahib, Gangotri & Yamunotri tracks of Uttarakhand. Said carrying capacity study will be completed within a period of 12 months.

****

The report is submitted for the perusal of the Hon'ble NGT.

Dr. Parag Madhukar Dhakate
Member Secretary
Uttarakhand Pollution Control Board

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun
E-mail : msukpcb@yahoo.com, Phone No. 0135-2607092

Ref. No: UKPCB/HO/Gen-183-600(II)/2024/614, **Date: 27.07.2024**

SPEED POST / E-MAIL

To,

Director,
Wildlife Institute of India
Chandrabani, Dehradun - 248001
Uttarakhand

Sub: Work order for carrying out of "Scientific Study for Assessment of Carrying Capacity of Kedarnath, Hemkund Sahib, Gangotri & Yamunotri tracks of Uttarakhand" -reg.

Sir,

Please refer to the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of E.A. No. 27 of 2023 in M.A. No. 54 of 2023 (O.A. No. 561 of 2022 titled as "Urvashi Shobhna Kachari Versus Union of India & Ors." from time to time. Hon'ble Tribunal *inter alia* directed to carry out Carrying Capacity of Kedarnath, Hemkund Sahib, Gangotri & Yamunotri tracks of Uttarakhand within a period of one year. In this regard proposal were sought from various Government Institutions/Universities for carrying out "Scientific Study for Assessment of Carrying Capacity of Kedarnath, Hemkund Sahib, Gangotri & Yamunotri tracks of Uttarakhand". Proposal was also submitted by the Wildlife Institute of India (WII), Dehradun vide letter dated 31.05.2024.

I am pleased to inform you that the Competent Authority of the Board has approved your proposal for carrying out **"Scientific Study for Assessment of Carrying Capacity of Kedarnath, Hemkund Sahib, Gangotri & Yamunotri tracks of Uttarakhand"**. In this regard the proposed study as mentioned above is hereby awarded to you as per details mentioned below:

Name of Study	Duration of Study	Sectioned Budget
Scientific Study for Assessment of Carrying Capacity of Kedarnath, Hemkund Sahib, Gangotri & Yamunotri tracks of Uttarakhand.	12 Months	Rs. 97,47,400.00 (Rs. Ninety Seven Lakh Forty seven Thousand Four Hundred only)

Terms and Conditions for the Study:

1. The Wildlife Institute of India (WII) shall undergo with an agreement regarding scope of study as well as the timeline for carrying out the study. Copy of agreement is enclosed with this Work Order.
2. Time start date for the study will be considered as the date of issuing of this letter.
3. WII will start the proposed study activities at the earliest.

4. Payment shall be made in 4 parts as follows:
   i) 40% after signing agreement for carrying out said study.
   ii) 30% after submission of Progress Report-I (within 6 months).
   iii) 20% after submission of Progress Report-II (within 9 months).
   iv) 10% After submission of Final report (within 12 months).

   WII shall provide the bank details for release of payment to this office.
5. WII shall carry out the proposed study with close co-ordination with concerned District Magistrate and Nodal Officer nominated by the District Magistrate for said study purpose.
6. WII shall not assign or outsource any component or part of this study to any other Agency.
7. WII shall submit monthly progress report to the UKPCB by 10th day of next month.
8. For all matters pertaining to the proposed study, the decision of Member Secretary, UKPCB shall be final and binding to both the parties.
9. For any legal dispute, Dehradun shall be the jurisdiction.

You are therefore requested to sign the enclosed agreement in 02 original sets and submit to the Board.

Enclosure: As above.

Yours Faithfully,

(Dr. Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary

Copy to:

1. Chairman, UKPCB, Dehradun for kind information please.
2. District Magistrate, Rudraprayag / Uttarkashi / Chamoli for kind information Please. In order to Finance Controller, Uttarakhand Pollution Control Board for the kind information. In order to timely completion of study, you are requested to nominate Nodal Officer for co-ordination with WII, please.
3. Finance Controller, UKPCB, Dehradun for kind information please.
4. Regional Officer (I/c), UKPCB, Regional Office, UKPCB, Dehradun for information and necessary assistance to WII, please.

Member Secretary

Annexure No. 2

ई पत्र संख्या– 217923 /XV-I/24/4(12)22/31871

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय निदेशक पशुपालन विभाग मोथरोवाला, देहरादून प्राप्ति स. 175 दिनांक 15/06/24

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनॉक 14 ~~मई~~ जून, 2024।

विषय : श्री केदारनाथ, हेमकुण्ड एवं यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 483 ukd.AWB(1518)/2024-25 दिनांकः 07.05.2024 के क्रम में श्री केदारनाथ एवं हेमकुण्ड यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्याः 775/XV-I/23/4(12)22 दिनांकः 01.05.2023 एवं शासनादेश संख्याः 213899 XV-I/24/4(12)22/31871 दिनांकः 28.05.2024 को अवक्रमित करते हुए श्री केदारनाथ, हेमकुण्ड एवं यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु निम्नवत् मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है:–

- मा० उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा की गयी यात्रा मार्ग की जांच के अनुरूप केदारनाथ यात्रा मार्ग पर (19 किमी की दूरी) पशु हानि की आशंका के निवारण हेतु अधिकतम 5000 अश्वबंशीय पशु (जिसमें से 4000 यात्रियों हेतु एवं 1000 समान ढुलान हेतु –आना एवं जाना) एवं श्री हेमकुण्ड साहिब यात्रामार्ग पर प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 15 कि०मी० की दूरी हेतु 1,050 अश्ववंशीय पशु) एवं मा० एन0जी0टी0 में योजित Execution Application No. 27/2023 O.A No 561/2022 (M.A No 54) Urvashi Shobhna Kachari Vs Union of India & Others के क्रम में यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर प्रति किलोमीटर अधिकतम 70 अश्ववंशीय पशुओं (कुल 8.5 कि०मी० की दूरी हेतु 595 अश्ववंशीय पशु) की अधिकतम धारिता क्षमता निर्धारित की जाती है।
- यात्रा मार्ग पर उपयोग में लाये जाने वाले समस्त अश्ववंशीय पशुओं का पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण पशुपालन विभाग अथवा जिला प्रशासन द्वारा नामित पशुचिकित्सक द्वारा किया जायेगा। पशु स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु के पहचान चिन्हीकरण हेतु पशु के कान में टैग अथवा जैसा भी जिला प्रशासन द्वारा निहित किया जाय। जिला पंचायत द्वारा अश्ववंशीय पशुओं का पंजीकरण कराया जायेगा। जिसका समस्त रिकार्ड समुचित माध्यम से यात्रा ट्रैक पर उपस्थित समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

923/2024

- स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पशु का ग्लैण्डर टेस्ट परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जायेगा। ग्लैण्डर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के उरान्त ही पशु का पंजीकरण वैध माना जायेगा।

- यात्रा मार्ग पर अश्ववंशीय पशु को साफ एवं गुनगुना पानी उपलब्ध कराया जायेगा व पशु स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर चारे व इलैक्टोलाइट पिलाने की व्यंवस्था रखी जायेगी। जिससे अधिक चढाई वाले स्थानों पर पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बचाया जा सकेगा।

- अश्ववंशीय पशुओं के ऊपर प्रयोग में लाये जाने वाली काठी हल्की एवं काठी के नीचे एक मोटे कम्बल का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, जिसंसे पशु के शरीर पर काठी से घाव न बन पाये। यात्रा प्रारम्भ से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण के समय काठी उतारकर पशु स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया जाय कि, पशु के शरीर पर कोई घाव न हो, वह लंगडाकर न चल रहा हो व अस्वस्थ्य प्रतीत न हो रहा हो।

- यात्रा मार्ग पर प्रत्येक पशुस्वामी द्वारा अधिकतम 2 अश्ववंशीय पशु को संचालित किया जायेगा यात्रा के दौरान एक अश्ववंशीय पशु को प्रतिदिन एक ही टोकन निर्गत किया जायेगा जो कि पूर्ण एक चक्कर (आना एवं जाना) हेतु मान्य होगा।

- यात्रा के दौरान अश्ववंशीय पशुओं के संचालन हेतु पशुस्वामी द्वारा लाइसेंस प्रांप्त करने के उपरान्त यदि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत दोषी पाए जाते है तो उनका लाइसेंस, लाइसेंस निर्गत करने वाली संस्था के माध्यम से रद्द करने की संस्तुति की जायेगी। ऐसी दशा में पशुस्वामी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाय।

- यदि किसी लाइसेंसधारी पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और उसका लाइसेंस मुकदमे की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। मुकदमे के निपटारे पर यदि लाइसेंसधारी बरी हो जाता है, तो उसके अश्ववंशीय पशुओं का पुनः स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने के उपरान्त यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाया जा सकेगा।

- इस नीति के तहत ब्लैकलिस्ट किए गए सभी व्यक्तियों की पूरी सूची टोकन देने वाली ऐजन्सी के माध्यम से पुलिस विभाग, सम्बिन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, Mule Task Force, जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

- टोकन प्रदान करने के लिए कार्यान्वंयन एजेंसी और Mule Task Force व अन्य सभी सम्बन्धित यह सुनिश्चित करेगे कि इस नीति के अंतर्गत ब्लैकलिस्ट में डाला गया कोई भी व्यक्ति यात्रा मार्ग पर घोड़े न चला रहा हो।

- यात्रा मार्ग पर प्रयोग में लाए जाने वाले अश्ववंशीय पशुओं को कार्य में लिए जाने से पूर्व क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार न्यूनतम एक सप्ताह की अनुकूलन अवधि सुनिश्चित की जाए जिससे की पशु क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढाल सके।

- यात्रा मार्गों पर अत्यधिक कठिन परिस्थितियों एवं ठण्डे वातावरण में वर्षा, बर्फ, ओलावृष्टि के कारण अश्ववंशीय पशुओं में ज्वर, खांसी, दमा, न्यूमोनिया इत्यादि के

कारण अकाल मृत्यु से बचाव हेतु आवश्यक है कि, पशुओं हेतु कुछ-कुछ दूरी पर अस्थायी शेडशैल्टर की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। पशुओं को पानी पिलाने के बाद, अनिवार्य रूप से कम से कम 20 मिनट आराम दिया जायेगा। बारिश ओलावृष्टि, बर्फ गिरने पर अश्ववंशीय पशुओं का संचालन प्रतिबंधित किया जा सकेगा। यात्रा मार्ग पर वर्षा व ओलावृष्टि होने पर पशुस्वामी द्वारा अश्ववंशीय पशुओं को शेड में रोककर खड़ा किया जायेगा। पशुओं पर किसी भी प्रकार की बाहरी सजावट साज-सज्जा किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

- निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित होगी :-
  - पशु पर निर्धारित क्षमता से अधिक वजन लादना।
  - घायल अथवा बीमार प्रतीत हो रहे पशु से कार्य कराना।
  - पशु के मुहँ के अन्दर नुकीली बीट डालकर चलाना।
  - पशु को यात्रा मार्ग पर तेज गति से दौडाना जिससे पैदल यात्रियों को असुविधा हो।
  - पशु को मारना, पीटना व दागना।
  - बिना टोकन व पंजीकरण के पशु का यात्रा मार्ग पर संचालन।
  - मृत पशु के शरीर को लावारिस छोडना।
  - पशु के ईयर टैंग व माइक्रोचिप के साथ छेडखानी करना।
- अश्ववंशीय पशुओं के मल-मूत्र के कारण उत्पन्न हो रही समस्या के निदान हेतु समुचित सफाई व्यवस्था की जांये, जिससे यात्रा मार्ग पर हो रही गन्दगी की समस्या का निवारण किया जा सके।
- जिला एस०पी०सी०ए० अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के कार्मिकों हेतु पशुओं के कल्याण एवं प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित कानूनी प्राविधानों, मा० उच्च न्यायालयों, मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये मार्गदर्शी आदेशों के प्रति जागरूकता हेतु संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। भारतीय सेना के अन्तर्गत रिमाउण्ट वेटनरी कॉर्पस तथा अर्धसैनिक बलों (यथा आई०टी०बी०पी०) के पशुचिकित्साविदों द्वारा भी पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त अश्ववंशीय पशुओं की चिकित्सा/प्रबन्धन हेतु कुछ विशेष चिकित्सा प्रक्रियाऐं/रीतियॉ अपनाई जाती हैं। पशुपालन विभाग के पशुचिकित्साविदों एवं सहयोगी कार्मिकों हेतु इस विशेष प्रशिक्षण हेतु रिमांउण्ट वेटनरी कॉर्पस अथवा आई०टी०बी०पी० अथवा अश्व कल्याण हेतु विशेषज्ञ पशु कल्याण संस्था-ब्रूक्स इन्डिया में सेवारत भारतीय सेना के सेवानिवृत पशुचिकित्साविदों के दिशा-निर्देशन में, पी०एफ०ए० उत्तराखण्ड के अश्व अभ्यारण्य में अथवा अन्य स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किये जायेगे।
- यात्रा में प्रयोग में लाये जा रहे अश्ववंशीय पशुओं हेतु दाने एवं चारे की व्यवस्था यात्रा

2024

मार्ग पर निर्धारित स्थानों पर किया जाना उचित होगा। जिन संस्थाओं अथवा व्यक्तिगत विक्रेताओं द्वारा यात्रा मार्ग अथवा आस–पास पशुओं हेतु चारा एवं दाना का व्यापार अथवा निःशुल्क वितरण किया जा रहा हो, पशुपालन विभाग को अधिकार होगा कि, वह विक्रय योग्य सामग्री का औचक निरीक्षण/जांच कर सकेंगे और यदि आवश्यकता हो तो नियमानुसार सैम्पलिंग भी कर सकेंगे।

- यात्रा मार्ग पर संचालित पशुचिकित्सालयों में चिकित्सा हेतु आये समस्त अश्ववंशीय पशुओं हेतु चिकित्सा रजिस्टर का अभिलेखीकरण किया जायेगा व चिकित्सा के दौरान आये पशु यदि कार्य करने योग्य नहीं है तो पशुचिकित्सक द्वारा टोकन प्रदान करने वाली संस्था अथवा कन्ट्रोल रुम को उनके ईयर टैंग नं० से अवगत कराया जायेगा। उन अश्ववंशीय पशुओं को स्वस्थ्य हो जाने तक यात्रा में प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- कतिपय पशु स्वामियों द्वारा यात्रा मार्गो में अन्य किसी कार्यदायी संस्था द्वारा आवंटित चिपस्ट्रैप उतारकर अन्य पशुओं पर अवैध रूप से उपयोग में लाये जा रहे हैं। इस अनियमितता की रोकथाम हेतु बेहतर प्रयास किया जायेगा।
- यात्रा मार्गो के आधार शिविरों एवं मध्य मार्ग पर प्रत्येक शेड शैल्टर के निकट स्थायी अथवा अस्थायी पशुचिकित्सालय की स्थापना की जायेगी। पशुचिकित्सालय पर पशुचिकित्सक (संविदा पर) तथा पैरावेट की नियुक्ति की जायेगी।
- यात्रा मार्ग पर यात्रा से पहले प्रत्येक पशु का भली प्रकार स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी होने पर अश्व पशुओं को यात्रा मार्गो पर परिवहन की अनुमति कदापि नहीं दी जायेगी।
- यात्रा के दौरान घायल/बीमार हुये अश्ववंशीय पशुओं को यात्रा मार्ग पर पुनः चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एक बार अस्वस्थ घोषित कर दिये जाने के उपरान्त यदि अश्ववंशीय पशु यात्रा मार्ग पर कार्य कर रहा है, तो पशुस्वामी के लिए अर्थदण्ड एवं अनुज्ञा प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- यात्रा मार्गों पर अश्ववंशीय पशुओं की मृत्यु की दशा में अतिशीघ्रता से मृत अश्ववंशीय पशुओं का शवविच्छेदन रिपोर्ट पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चिन्हीत भूमि पर शवनिस्तारण किया जाना होगा। मृत अश्ववंशीय पशु के देह को Body-bag से ढक कर रखा जायेगा।
- यदि प्रारम्भिक नियमित जांच में कोई मादा अश्ववंशीय पशु गर्भवती पायी जाती है तो उसे यात्रा मार्ग पर संचालित न किया जाय।
- यात्रा मार्गों पर टोल फ्री नम्बर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होने के कारण किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में सम्पर्क कर पाना सम्भव नहीं हो पाता है। इस क्रम में टोल फ्री नम्बर को नेटवर्क एरिया से जोडने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय, जिससे यात्रियों एवं अश्ववंशीय पशु स्वामियों की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त मानक संचालन

प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Signed by Vinod Kumar Suman
Date: 13-06-2024 14:15:13

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

217.923
ई संख्या: / XV-I / 24 / 4(12)22 / 31871तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अपर निदेशक, सूचना महानिदेशालय।
5. अपर निदेशक, पशुपालन, गढ़वाल / कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
6. समस्त, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Mahaveer Singh Parmaar
Date: 14-06-2024 10:36:51

(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव।

Annexure No. 3

मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित E.A. No.-27/2023 in M.A. No.-54/2023 उर्वशी शोभना कचारी बनाम भारत संघ व अन्य (O.A. No. 561/2022) में समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः

1. श्री बृजेश कुमार संत, सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. कहकशां नसीम, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री कपिल जोशी, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड वन विभाग, देहरादून।
4. श्री प्रसन्न कुमार सुबुद्धि, निदेशक, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, देहरादून।
5. श्री आशुतोष शुक्ल, उप सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री अखिलेश मिश्रा, उप सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री सतेन्द्र बर्मन, अनु सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री हरीश सागर, अनु सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री कुमार सिंह, जे0एफ0सी0,
10. डॉ0 राजेन्द्र सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
11. श्री ए0के0 राजपूत, उपायुक्त, आर0डी0, देहरादून।
12. डॉ0 नीरज सिंघल, निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून।
13. डॉ0 उर्वशी, उप निदेशक, पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।

विडियो क्रान्फेसिंग के माध्यम सेः

1. डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. सी0डी0ओ0, रूद्रप्रयाग।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए डॉ0 राजेन्द्र सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पी0पी0टी0 के माध्यम से मूल आवेदन संख्या–561/2022 उर्वशी शोभना कचारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में समय–समय पर पारित आदेशों एवं उक्त के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया। विषयगत प्रकरण राज्य में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, यमुनोत्री तथा गंगोत्री–गौमुख यात्रामार्गों में घोड़े/खच्चरों का संचालन तथा रख–रखाव से सम्बन्धित है।

1. डॉ0 राजेन्द्र सिंह द्वारा उपरोक्त यात्रामार्गों में घोड़े/खच्चरों के संचालन के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा गठित संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0 के अनुसार प्रतिदिन संचालित घोड़े/खच्चरों की संख्या तथा रख–रखाव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।
2. बैठक में डॉ0 नीरज सिंघल, निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 14.06.2024 द्वारा केदारनाथ, हेमकुण्ड एवं

यमुनोत्री यात्रामार्ग पर अश्वंशीय पशुओं के संचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित कर दी गयी है। उक्त के अनुसार केदारनाथ यात्रामार्ग पर 5000 अश्वंशीय पशु, हेमकुण्ड यात्रामार्ग पर 1050 अश्वंशीय पशु तथा यमुनोत्री यात्रामार्ग पर 595 अश्वंशीय पशुओं की अधिकतम धारित क्षमता निर्धारित की गयी है।

3. बैठक में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा Carrying Capacity Study के सम्बन्ध में दिनांक 16.04.2024 को पारित आदेशों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि विषयगत प्रकरण में मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 06.03.2024 के अनुपालन में 05 संस्थानों/विश्वविद्यालयों यथाः– i. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून ii. निदेशक, जी0बी0 पंत, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संस्थान, कोसी कटारमल, अल्मोड़ा iii. निदेशक, वॉडिया राष्ट्रीय हिमालयी भूगर्भ संस्थान, देहरादून iv. कुलपति, जी0बी0 पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंतनगर v. कुलपति, एच0एन0बी0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से Carrying Capacity Study के सम्बन्ध में अभिमत प्राप्त किया गया था, जिसके आधार पर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 11.03.2024 को मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया था कि Carrying Capacity Study सम्बन्धी अध्ययन में न्यूनतम 18 माह का समय आवश्यक है। तथापि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा Carrying Capacity Study को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

4. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त 05 संस्थानों/विश्वविद्यालयों से Carrying Capacity Study सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन हेतु तकनीकी/वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। 05 संस्थानों/विश्वविद्यालयों में से 04 संस्थानों/विश्वविद्यालयों से तकनीकी/वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

5. बैठक में अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16. 04.2022 के अनुपालन में वर्तमान में उपलब्ध डाटा के आधार पर अस्थाई धारक क्षमता निर्धारित की जानी है। प्रकरण में अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न यात्रामार्गों में अश्वंशीय पशुओं की निर्धारित धारक क्षमता निर्धारित की गयी है। अतः उक्त सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 को अवगत किया जाना उचित होगा।

6. बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विषयगत प्रकरण में अनुपालन सुनिश्चित करने एवं अग्रेतर कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

i. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Carrying Capacity Study सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन हेतु संस्थान/विश्वविद्यालय के चयन प्रक्रिया सम्बन्धी औपचारिकता 07 दिनों के अन्तर्गत पूर्ण कर ली जाये।

(कार्यवाहीः– उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

ii. चयनित संस्थान/विश्वविद्यालय Carrying Capacity Study सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित करेगें। सम्बन्धित जिलाधिकारी संस्थान/विश्वविद्यालय को अध्ययन में आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु नोडल अधिकारी नामित करेगें।

(कार्यवाहीः जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/चमोली/रूद्रप्रयाग)

iii. उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न यात्रामार्गों में अश्वंशीय पशुओं की निर्धारित धारक क्षमता निर्धारित की गयी है। अतः उक्त के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 को अवगत किया जाना है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 के अनुपालन में Action Taken Report दाखिल करने हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकृत किया जाता है।

(कार्यवाहीः– उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अन्त में सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

Signed by Kahkashan Naseem
Date: 26-07-2024 11:06:52
(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्याः–227768/ई–49620/XXXVIII–1–2024
देहरादूनः दिनांकः 26 जुलाई, 2024

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री बृजेश कुमार संत, सचिव–परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री कपिल जोशी, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक, देहरादून।
3. श्री प्रसन्न कुमार सुबुद्धि, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4. श्री आशुतोष शुक्ल, उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री अखिलेश मिश्रा, उप सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री सतेन्द्र बर्मन, अनु सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री हरीश सागर, अनु सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री कुमार सिंह, जे0एफ0सी0,
9. डॉ0 राजेन्द्र सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
10. श्री ए0के0 राजपूत, उपायुक्त, आर0डी0, देहरादून।
11. डॉ0 नीरज सिंघल, निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून।
12. डॉ0 उर्वशी, उप निदेशक, पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
13. डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
14. सी0डी0ओ0, रूद्रप्रयाग।
15. गार्ड फाईल।

Signed by Ashutosh Shukla
Date: 26-07-2024 12:21:11

आज्ञा से,

(आशुतोष शुक्ल)
उप सचिव।